राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/प-2/1/4/रातस/तह.कार्यव्यवस्थार्थ/2021-22/1380 दिनांकः 13/01/2022

-: आदेश :-

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) जयपुर, के पत्र क्रमांक प.2(37)राज-1/2018 पार्ट दिनांक 24.11.21 एवं क्रमांक प.2(19)राज-1/2017 दिनांक 20.12.21 के क्रम में राजकार्यों के समय पर निष्पादन के दृष्टिगत ऐसे नायब तहसीलदार जिनकी परिवीक्षावधि पूर्ण होकर 2 वर्ष की सेवा अवधि हो गई है, उनको वरिष्ठता के आधार पर स्वयं की वेतन श्रृंखला (पातेय वेतन) में तहसीलदार के रिक्त पदों पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापित किये जाने हेतु स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 31.12.2021 को आयोजित की गई।

स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के आधार पर निम्नांकित नायब तहसीलदारों एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को कार्यव्यवस्थार्थ स्वयं की वेतन श्रृंखला (पातेय वेतन) में तहसीलदार के रिक्त पदों पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापित किये जाने हेतु उपयुक्त पाया जाता है :-

नायब तहसीलदार :-

S.NO.	ELG. NO.	Employee	DOB
1	50	BHAIRU LAL MEENA	12-12-61
2	77	CHOKHARAM	06-06-91
3	128	HARDEEP SINGH	15-8-68
4	179	KAMLESH SHARMA	01-02-63
5	183	KAUSHAL KUMARI AGRAWAL	15-01-76
6	228	MEERA KANUNGO	11-05-77
7	345	RAMNATH	5-7-63
8	375	SATYAPRAKASH KHATRI	07-07-85
9	222	MANISH KUMAR MEENA	03-11-88
10	155	JAGDISH PRASAD	18-07-62
11	253	NAVEEN KUMAR	02-08-89
12	406	SUBHASH CHAND	22-11-80
13	427	Tanveer Singh Shekhawat	23-06-91

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी :-

क्र. सं.	पा.क्र.	नाम/पिता का नाम	जन्मतिथि	पदस्थापन जिला /विभाग
1	2	श्री शिवशंकरसिंह/ मंगलसिंह	31-01-63	COLONIZATION
2	3	श्री महेन्द्रपाल शर्मा/ माधोप्रसाद	21-12-1962	S.MADHOPUR
3	4	श्री जसपालसिंह/ लालसिंह	19-04-1962	SIROHI
4	5	श्री भगवती प्रसाद वैष्णव /महावीर प्रसाद वैष्णव	02-07-1967	AJMER
5	6	श्री राजेन्द्र पाराशर /सोहन लाल पाराशर	05-02-1965	BHILWARA
6	7	श्री ओमप्रकाश शर्मा /नारायण प्रसाद शर्मा	17-06-1969	AJMER
7	8	श्री खींवराज बाना/ लक्ष्मणराम	21-07-62	NAGUR
8	9	श्री नरेश कुमार गौड़ /मदन लाल गौड़	06-02-62	BARAN
9	10	श्री हनवंतसिंह/नैनसिंह	01-09-67	JALORE
10	11	श्री बनवारी लाल/ छोटेलाल	06-07-1964	DAUSA
11	12	श्री अनिल कुमार शर्मा/ हजारीलाल शर्मा	24-05-74	DAUSA
12	13	श्री कैलाश चन्द मेहरा /रामस्वरूप मेहरा	02-07-1967	DAUSA
13	14	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता/सत्य नारायण गुप्ता	21-07-68	D.C.JAIPUR
14	15	श्री कुलदीप मीणा/प्रहलाद मीणा	16-03-1978	JHUNJHUNU
15	16	श्री गोपाल लाल मीणा /रामसहाय	01-10-1962	JAIPUR
16	17	श्री कृष्ण अवतार गर्ग /गंगाराम	01-07-1963	S.MADHOPUR
17	18	श्री मनोहरसिंह /रघुनाथसिंह	15-10-1965	JALORE

13/01/2022

18	19	श्री हातिम खां/जहुर मोहम्मद	17-08-1965	JALORE
19	20	श्री सीताराम गवारिया /छोटूलाल गवारिया	15-04-67	COLONIZATION
20	21	श्री शिव नारायण गल्होत्रा / भवानीराम हरिजन	02-11-62	CHITTOR
21	22	श्रीमती लीलावती मीणा /कैलाश चन्द मीणा	05-10-68	ALWAR
22	23	श्री बृजलाल कल्याणिमी / कजोडमल	04-05-1962	SIKAR
23	24	श्री मुरलीधर शर्मा /भीखाराम	01-07-63	JODHPUR
24	25	श्री बालमुकुन्द गुप्ता /सीताराम	05-05-1964	JAIPUR
25	26	श्री रामजी लाल वर्मा /देवीसहाय जाटव	25-10-1963	ALWAR
26	27	श्री मुकेश नन्दन/सुनन्दन शर्मा	13-09-64	ALWAR
27	29	श्री मुकेश कुमार गुप्ता/ प्रभुदयाल	15-07-1964	JAIPUR
28	30	श्री संदीप जैन/प्रेम चन्द जैन	13-07-68	ALWAR
29	31	श्री हरकिशोर गोयल /चक्रवती गुप्ता	12-06-1964	AJMER
30	32	श्री अनिल कुमार जैन/ नेमीचन्द जैन	09-06-1969	AJMER
31	34	श्री हरिकिशन शर्मा /वल्लभदत्त शर्मा	22-03-1965	ALWAR
32	35	श्री हरिनारायण सोनी / बालमुकुन्द सोनी	01-07-67	BUNDI
33	36	श्री जितेन्द्र सिंह /लालसिंह	16-07-1968	HANUMANGARH
34	37	श्री मनोज कुमार सक्सैना /महेश चन्द सक्सैना	07-03-1965	BHARATPUR
35	38	श्री दीनदयाल सारस्वत /मंगल सैन	20-10-1966	BHARATPUR
36	39	श्री निरंजन/गणपत लाल	21-10-82	BOR AJMER
37	40	श्री हरिराम/चन्दूराम	20-01-1971	BOR AJMER
38	41	श्री महेन्द्र सिंह गौड /मोहन लाल गौड	25-02-65	BOR AJMER
39	42	श्री असगर अली नकवी /सैयूयद अब्दूला	10-06-63	TONK
40	43	श्रीमती हिल्डा रोज /आर्थी सेमुअल	29-04-1963	KOTA
41	45	श्री अनिल कुमार शर्मा /भंवरलाल	19-01-62	AJMER
42	46	श्री गजानंद मीणा/श्रवण लाल मीणा	05-07-82	BOR AJMER
43	47	श्री योगेन्द्र कुमार वैष्णव/मोतीराम	15-01-1970	BANSWARA

उक्त कार्यव्यवस्थार्थ पदरथापन निम्न शर्तो के अध्ययधीन रहेगा :-

1- दिनांक 31.12.21 को आयोजित स्कीनिंग समिति द्वारा उक्त नायब तहसीलदारों एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर केवल कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर पदस्थापन हेतु स्कीनिंग की गयी है। स्कीनिंग समिति की रिपोर्ट केवल और केवल मात्र उक्त नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के एक बार (One Time) कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन हेतु उपयोगी होगी इसका अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं दिया जायेगा और इसके आधार पर कोई भी नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी किसी भी भांति के अनुभव, पदोन्नति एवं वित्तीय परिलाभ का न तो हकदार होगा और नहीं किसी हक का दावा/भांग किसी भी न्यायालय/ अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/ विभाग के समक्ष करेगा।

2- उक्त स्कीनिंग समिति की रिपोर्ट के आधार पर केवल कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर पदस्थापित नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन की कार्यावधि के आधार पर किसी भी प्रकार की पदीय वरिष्ठता के हकदार नहीं होंगे तथा उक्त कार्यावधि के आधार पर प्राप्त किसी अनुभव का पदोन्नति या वरिष्ठता में शुमार नहीं किया जायेगा। ना ही कोई नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी इस आधार पर वरिष्ठता या पदोन्नति का दावा /मांग करेगा।

3- स्कीनिंग समिति की रिपोर्ट केवल और केवल मात्र कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन है इसे किसी भी रूप में तदर्थ अथवा नियमित पदोन्नति की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। न तो कोई नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी उक्त आधार पर किसी तदर्थ या नियमित पदोन्नति का हकदार होगा और ना ही वह ऐसे किसी हक का दावा या मांग भविष्य मे किसी भी न्यायालय , अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष पेश करेगा।

4- उक्त नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मूल रूप से नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ही बने रहेगे तथा नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को प्राप्त वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य वित्तीय परिलाभ के न तो हकदार होंगे और न ही किसी हक का दावा या मांग भविष्य मे किसी भी न्यायालय , अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष पेश करेगा।

5- स्कीनिंग समिति की उक्त रिपोर्ट/अभिशंषा को प्रशासनिक आधार पर किसी भी समय प्रत्याहरित किया जा सकेगा और नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को उनके मूल पद पर पुनः पदस्थापित किया जा सकेगा। कोई भी नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी इस संदर्भ में लिये गये किसी निर्णय को किसी भी न्यायालय , अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष चुनौती नहीं देगा।

13/01/2022

(2)

6— स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार पद पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन का यह आदेश सभी पात्र नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को स्वीकार्य होगा तथा कोई भी पात्र नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी इस आदेश को किसी भी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्रशासनिक विभाग /संस्था के समक्ष चुनौती नहीं देगा।

7— उक्त नायब तहसीलदारों एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन तहसीलदार के रिक्त पद के विरूद्ध इनके स्वयं की वेतन श्रृंखला (पातेय वेतन) में नियमानुसार इनके एलपीसी के आधार पर आहरित किया जायेगा। इन नायब तहसीलदारों एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर पदस्थापन हो जाने से नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद को रिक्त माना जायेगा।

8— उक्त नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी यदि कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर कार्य नहीं करना चाहते है, तो वे अपना लिखित अभ्यावेदन मय विस्तृत कारण उचित माध्यम सम्बंधित जिला कलक्टर /कार्यालयाध्यक्ष राजस्व मण्डल में भिजवायेंगे एक बार कार्यग्रहण में असमर्थता जाहिर करने पर पुनः कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन पर विचार नहीं किया जायेगा।

9— स्क्रीनिंग समिति द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर स्क्रीनिंग की गयी है। फिर भी यदि किसी नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के विरूद्ध स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 31.12.2021 तक कोई विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण अथवा दण्ड होने की जानकारी विभाग के संज्ञान में आती है, जिससे वह पात्रता की श्रेणी से बाहर हो जाता है तो उसे तुरंत प्रभाव से कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन से हटा कर मूल पद पर पदस्थापित किया जायेगा तथा यदि किसी नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के सम्बंध में उपलब्ध अभिलेख के आधार गलत /मिथ्या जानकारी के कारण उसे कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार पद पर पदस्थापन हेतु विचारित नहीं किया गया हो, तो उसके संदर्भ में विभागीय तथ्यों से वास्तविक वस्तुस्थिति स्पष्ट होने पर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत उसकी पात्रता बाबत विचार किया जा सकेगा।

आदेशानुसार,

13/01/2022

(डॉ. मोहन लाल यादव)
निबन्धक,
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर

क्रमांकः सम/ 1381–1493

दिनांकः 13/01/2022

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1— निजी सचिव मा. अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज.,अजमेर ।
2— निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
3— विशिष्ठ सहायक, मा. राजस्व मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
4— संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप—1) विभाग राजस्थान, जयपुर ।
4— आयुक्त, भू—प्रबंध विभाग राजस्थान, जयपुर ।
5— आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर ।
6— संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
7— जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान।
8— प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/वि.जांच/प्रशासन/कंप्यूटर्स)राजस्व मण्डल राज.,अजमेर।
9— ....
10— सम्बंधित..................
11— आदेश पंजिका/ निजी पत्रावली ।

निबन्धक
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर